न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 159/2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जगदीश पुत्र अमीलाल जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:–––– अपीलांट

बनाम

1 मोती लाल पुत्र अमीलाल जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
2 मेहरचन्द पुत्र भौरे लाल जाति चमार निवासी मुण्डावर
3 मौसमी पुत्री अमीलाल जाति चमार निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
4 बिमला पुत्री अमीलाल जाति चमार निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
5 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

:–'––––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर दिनांक 15.4.2019

———————————————————

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अशोक कुमार मुदगल

2. वकील रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 25.10.2021

——— ———————

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 257/2018 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2019, जिसके द्वारा उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वाद पत्र अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मोती लाल ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बरान 2098 रकबा 37 एयर, 2099 रकबा 23 एयर, /102 रकबा 63 एयर कुल किता 3 रकबा 1.23 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बरान 2091 रकबा 76 एयर, 2092 रकबा 38 एयर कुल किता 2 रकबा 1.14 हेक्टेयर और खसरा नम्बरान 2100 रकबा 46 एयर, 2101 रकबा 51 एयर कुल किता 2 रकबा 97 एयर वाके ग्राम गुण्डावर तहसील गुण्डावर विवादित है । उक्त आराजीयात शामलात खाते की है । परन्तु पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज है । वादी अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज है । विवादित आराजी का अभी विधिवत बटवारा नहीं हुआ है । शामलात में खेती करना मुश्किल है । प्रतिवादीगण आये दिन दखलअंदाजी करते हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का विभाजन किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र में दिनांक 2.11.2018 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की और कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिनांक 15.4.2019 को प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की । उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 15.4.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी जगदीश ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद विन्दू पर तर्क दिये कि मुकदमे की पैरवी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वकील साहब ने ले रखी थी और कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी, आपको बुला लिया जावेगा । परन्तु वकील साहब ने अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं दी । काफी समय गुजरने के बाद वकील साहब से मिले तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश कर दी । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि तहत अदालत ने अपना निर्णय पक्षकारान की सहमति के आधार पर पारित किया है, जबकि ना तो हमारी कोई सहमति थी और ना ही रेस्पो0 संख्या 4 ने कोई सहमति दी । कुर्रेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है । उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का व कानूनगो द्वारा तैयार की गई है । तहत अदालत द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि देरी को तभी माफ किया जा सकता है, जब देरी का युक्तियुक्त कारण बताया जावे । इनके वकील द्वारा सम्पूर्ण समय पैरवी की गई है । इनको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी । इन्होंने देरी का युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि कुर्रेजात रिपोर्ट से पक्षकारान सहमत थे । सहमति स्वरू आदेशिका पर उभयपक्ष के वकीलों के हस्ताक्षर हैं । ये कुर्रेजात से सहमत थे, इसीलिये इन्होंने तहत अदालत में आपत्ति पेश नहीं की । ऐसी स्थिति में इनको अपील पेश करने का अधिकार नहीं है । विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रकरण विभाजन के सम्बन्धित है । कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । इस रिपोर्ट में एक नजरी नक्शा बनाया हुआ है, जिसमें पक्षकारान के कब्जे को लाल स्याही से विवादित खसरा नम्बरान में बटा नम्बर डाला गया है । अर्थात कब्जा अनुसार तितम्बा काटा गया है । इस रिपोर्ट पर स्वयं तहसीलदार के हस्ताक्षर है । जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है तो इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 15.4.2019 का अवालेकन किया । उक्त आदेशिका दिनांक 15.4.2019 के अनुसार उक्त कुर्रेजात से पक्षकारान सहमत थे । सहमति स्वरूप उक्त आदेशिका पर वकीलों के हस्ताक्षर है । जब पक्षकारान कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत थे तो फिर अब अपील में कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । अगर अपीलांट को कुर्रेजात रिपोर्ट से कोई आपत्ति थी तो फिर तहत अदालत में कोई आपत्ति पेश क्यों नहीं की । विभाजन की डिक्री में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना पाया जाता है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.4.2019 यथावत रखे जाते हैं । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली

7 फैसल शुमार हो ।

25/10/2021

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 159/2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जगदीश पुत्र अमीलाल जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांट

वनाम

1 गोती लाल पुत्र अमीलाल जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
2 मेहरचन्द पुत्र भौरे लाल जाति चमार निवासी मुण्डावर
3 मौसमी पुत्री अमीलाल जाति चमार निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
4 बिमला पुत्री अमीलाल जाति चमार निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
5 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

:–'———— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर दिनांक 15.4.2019

———————————————————

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अशोक कुमार मुदगल

2. वकील रेस्पो0 :– श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 25.10.2021

——— ——————

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.4.2019 यथावत रखे जाते है ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर